उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, 1969
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1969)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अगस्त, 1969 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2 सितम्बर, 1969 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने दिनांक 12 सितम्बर, 1969 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 सितम्बर, 1969 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

कतिपय पथकर लगाये जाने को वैध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, 1969 कहलाएगा।

कुल कालावधि के दौरान कतिपय पुलों पर पथकर के लाए जाने का वैधीकरण।

1851 का 8

2– (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इंडियन टाल्स ऐक्ट, 1851 की धारा 2 के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 22 मार्च, 1963 की विज्ञप्ति सं0 2662–सी0/23–पी0डब्ल्यू0ए0–133–सी0–1960 के अधीन, 22 मार्च, 1963 को आरम्भ होने वाली और 2 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान उन पुलों के बारे में, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 1 नवम्बर, 1956 की विज्ञप्ति सं0 5495(3)–सी0/23–पी0डब्लू0ए0–217–सी0–1953 के पैरा 2 के अधीन समय–समय पर विज्ञापित किए गए थे, उद्गृहीत किए गए या उद्गृहीत किए गए तात्पर्यित सब पथ–कर विधिपूर्वक उद्गृहीत किए गए समझे जाएंगे मानों उक्त पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के पैरा 2 के अधीन 22 मार्च, 1963 को विज्ञापित किए गए हों और तद्नुसार–

(क) किसी ऐसे पुल के बारे में किसी व्यक्ति से यथापूर्वोक्त उद्गृहीत या वसूल किए गए किसी पथकर को लौटाने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही न चलेगी, न चालू रखी जाएगी; तथा

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे किसी पुल के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी पथकर को लौटाने का निदेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित न करेगा।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे किसी पुल के बारे में उसके द्वारा दिए गए उतने पथकर लौटाये जाने का दावा करने से निर्वारित करती है जो उस रकम से आधिक्य में हो जो उसके द्वारा उस दशा में शोध्य होती जब कि पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के अधीन 22 मार्च, 1963 को सम्यक् रूप से विज्ञापित कर दिया गया होता।

निरसन

3– उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, 1968, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 33,1968